राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 01/2017
दायरा तिथि 04.01.2017
निर्णय तिथि 15.06.2017

वादी–
मोवनीया उर्फ मोहनसिंह पुत्र चमनसिंहजी जाति पुरोहित निवासी बसन्त, तहसील सुमेरपुर

बनाम:

प्रतिवादीगण–
1–स्व.बाबु पुत्र चमना उर्फ चमनसिंहजी के कायम मुकाम–
1/1–मंगलसिंहजी पुत्र बाबुजी
1/2–जगदीश पुत्र बाबुजी
1/3–रणजीतसिंह पुत्र बाबुजी
1/4–गुलाब पुत्री बाबुजी
1/5–नारायणी पुत्री बाबुजी
1/6–शारदा पुत्री बाबुजी
1/7–पुष्पा पुत्री बाबुजी
1/8–दुर्गा पुत्री बाबुजी
2–स्व.मगीया उर्फ मगनसिंह पुत्र चमना उर्फ चमनसिंहजी के कायम मुकाम–
2/1–बहादुरसिंह पुत्र मगीया उर्फ मगनसिंहजी
2/2–गीता पुत्री मगीया उर्फ मगनसिंहजी
2/3–गुडिया पुत्री मगीया उर्फ मगनसिंहजी
2/4–कंकुदेवी पत्नी मगीया उर्फ मगनसिंहजी
3–स्व.खीमा उर्फ खीमसिंह पुत्र पुत्र चमना उर्फ चमनसिंहजी के कायम मुकाम–
3/1–अरविन्दसिंह पुत्र खीमा उर्फ खीमसिंहजी
3/2–गोविन्दसिंह खीमा उर्फ खीमसिंहजी
3/3–कंचन पुत्री खीमा उर्फ खीमसिंहजी
3/4–कमलादेवी खीमा उर्फ खीमसिंहजी
4–दाना उर्फ दानसिंह पुत्र चमना उर्फ चमनसिंहजी तमाम जाति पुरोहित निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर
5–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 15.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा बसन्त, पटवार सर्कल बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 तक के पुश्तैनी स्वामित्व एवं

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

आधिपत्य की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 131 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म चा. दो.जा.दो., खसरा नं. 132 रकबा 1.65 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नं. 282 रकबा 2.36 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नं.283 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै.मु.सेरिया, खसरा नं. 284 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं. 285 रकबा 0.91 हेक्टर किस्म जा.दो.चा.दो., खसरा नं. 750 रकबा 0.25 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 5.36 हेक्टर आयी हुई है जो भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 के पूर्वज चमना उर्फ चमनसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रही है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं.01 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं.02 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं.03 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं.04 का 1/5 हिस्सा खातेदारी का आता है तथा इसी हिस्सा मुजब वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु उपरोक्त हिस्सा मुजब राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया हुआ नहीं है। इसलिए वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री फरमाकर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 131, 132, 282, 283, 284, 285, 750 कुल रकबा 5.36 हेक्टर के बारे में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी सं 1/1 लगाय 1/8 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2/1 लगाय 2/4 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 3/1 लगाय 3/4 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 04 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाये जाने का आदेश व वादी के 1/5 हिस्से खातेदारी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलदांजी पैदा नहीं करे, इस अमर की चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य–दस्तावेज जमाबंदिया संवत् 2060–63, 2064–67, 2968–71 व संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रतिया पेश की है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् राजस्व रेकर्ड व वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। इस पत्रावली अन्तर्गत उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के बारे में मनन व विचारण करने पश्चात् हमने पाया कि साक्ष्य–दस्तावेज जमाबंदिया संवत् 2060–63, 2064–67, 2968–71 व संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रतिया में दर्ज प्रविष्ठियों के अनुसार वादपत्र में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारी विधिक राय है कि वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बसन्त, पटवार सर्कल बसन्त, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 131 रकबा 0.10 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नं. 132 रकबा 1.65 हेक्टर किस्म चा.दो. जा.दो., खसरा नं. 282 रकबा 2.36 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नं.283 रकबा 0.03 हेक्टर किस्म गै.मु.सेरिया, खसरा नं. 284 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं. 285 रकबा 0.91 हेक्टर किस्म जा.दो.चा.दो., खसरा नं. 750 रकबा 0.25 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 5.36 हेक्टर के बारे में वादी को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं 1/1 लगाय 1/8 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 2/1 लगाय 2/4 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 3/1 लगाय 3/4 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 04 को 1/5 हिस्से का बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर उपरोक्त घोषित खातेदारी हिस्सा मुजब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। इसके अलावा वादी के 1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलदांजी पैदा नहीं करे, इस अमर की चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय खुले आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–बसन्त में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner